

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 10/09/2015

संख्या-3/टी-01-05/2015- 375(3) /स्वा०, विभागीय अधिसूचना सं० 328(3) दिनांक 24.08.2015 के द्वारा 4(चार) चिकित्सा पदाधिकारियों को एवं अधिसूचना सं० 373 (3) दिनांक 8.09.2015 के द्वारा एक चिकित्सा पदाधिकारी को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से निदेशक प्रमुख के पद पर पदस्थापित किया गया है। पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों को निम्नांकित कार्य आवंटित किया जाता है :-

क्र०सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	पदनाम	आवंटित कार्य
1	2	3	4
1	डा० आजाद हिन्द प्रसाद	निदेशक प्रमुख	प्रशासन
2	डा० शशि रानी	निदेशक प्रमुख	मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण
3	डा० हरिहर नाथ दिवाकर	निदेशक प्रमुख	प्रशिक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सा
4	डा० कबिन्द्र प्रसाद सिन्हा	निदेशक प्रमुख	रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, पारामेडिकल्स
5	डा० राजधारी रंजन,	निदेशक प्रमुख	परिवार कल्याण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग

2. पदाधिकारियों की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए निम्न प्रकार लिंक पदाधिकारी बनाये जाते हैं। एक पदाधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में दूसरे पदाधिकारी उनका कार्य देखेंगे:-

चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	लिंक पदाधिकारी
डा० आजाद हिन्द प्रसाद, निदेशक प्रमुख	डा० शशि रानी, निदेशक प्रमुख
डा० शशि रानी, निदेशक प्रमुख	डा० आजाद हिन्द प्रसाद, निदेशक प्रमुख
डा० हरिहर नाथ दिवाकर, निदेशक प्रमुख	डा० कबिन्द्र प्रसाद सिन्हा, निदेशक प्रमुख
डा० कबिन्द्र प्रसाद सिन्हा, निदेशक प्रमुख	डा० राजधारी रंजन, निदेशक प्रमुख
डा० राजधारी रंजन, निदेशक प्रमुख	डा० कबिन्द्र प्रसाद सिन्हा, निदेशक प्रमुख

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 3/टी-01-05/2015- 375(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 10/09/2015

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (लेखा)/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव